

संख्या- 29 /2024/ 4757 /002-9-7002-099-3-2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7**लखनऊ : दिनांक 27 नवंबर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 06.12.2021, शासनादेश संख्या-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक 03.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-43/2023/2453/003-9-7002-002-2-2022, दिनांक 07.11.2023 नगर पंचायत पनियरा जनपद महाराजगंज, नगर पालिका परिषद मवाना जनपद मेरठ, नगर पंचायत लालगंज जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर एवं नगर पंचायत खरखौदा जनपद मेरठ को अन्य निकायों के साथ-साथ गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से नगर पंचायत गायघाट जनपद बस्ती एवं नगर पंचायत गनेशपुर जनपद बस्ती को कान्हा गौशाला/पशु होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तें/प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय/अंतिम किशत की धनराशि कुल ₹592.575 लाख (रुपौंच करोड बानवे लाख सन्तावन हजार पाँच सौ मात्र) चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की मा. राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र०सं०	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	प्रथम/द्वितीय किशत की धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किशत की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पंचायत पनियरा जनपद महाराजगंज	9-7002(099)/3/2021, दिनांक 06.12.2021	150.68	27.90	122.78
2.	नगर पालिका परिषद मवाना जनपद मेरठ	05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक 03.03.2023	165.89	35.00	130.89

3.	नगर पंचायत लालगंज जनपद प्रतापगढ़	43/2023/2453/003- 9-7002-002-2-2022, दिनांक 07.11.2023	165.89	82.945	82.945
4.	नगर पंचायत कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर	9-7002(099)/3/2021, दिनांक 06.12.2021	153.53	27.90	125.63
5.	नगर पंचायत खरखौदा जनपद मेरठ	05/2023/491/001-9- 7002-002-2-2022, दिनांक 03.03.2023	165.33	35.00	130.33
कुल योग			801.32	208.745	592.575

(₹ पाँच करोड़ बानवे लाख सन्तावन हजार पाँच सौ मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
 - (2) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकाय को अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2025 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप मंत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (3) नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से उपरोक्त कार्यों का third party inspection (गुणवत्ता निरीक्षण) पी0 डब्ल्यू0 डी0/ आर0 ई0 एस0 के कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 - (4) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-9-7002(099)/3/2021, दिनांक 06.12.2021, शासनादेश संख्या-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक 03.03.2023 एवं शासनादेश संख्या-43/2023/2453/003-9-7002-002-2-2022, दिनांक 07.11.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,92,57,500 (रुपये पाँच करोड़ बानबे लाख सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by

Kalyan Banerjee

Date: 27.11.2024 18:30:01

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

संख्या- 29 /2024/4757(1) /002-9-7002-099-3-2021, तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ०प्र०।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ०प्र०, प्रयागराज।
6. संबंधित अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ.प्र.।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
8. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Signed by ^{आज्ञा से,}

Kalyan Banerjee

Date: 27-11-2024 18:30:55

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।